

कार्यालय नगरपरिषद राजसमन्द

क्रमांक :- नपरा/विकास/2017-18/ 60

दिनांक :- 6.4.17

अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र


DA V HZL SR.SEC. SCHOOL दरीबा जिला राजसमन्द के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.03.2017 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक 06.04.2017 को निरिक्षण किया गया जिसमें निम्न अग्निसुरक्षा पायी गयी :-

स्कूल अग्निशम सुरक्षा आवश्यकतानुसार सीओटू एसीबी के फायर एस्ट्रीग्युसुर यथास्थल पर लगे हुये पाये गये तथा सभी अग्निशमन उपकरणों को चलाकर चेक किया गया जो सही पाये गये।


अतः उपरोक्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सही पाये जाने पर निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त :-

1. विद्यालय में तैनात सिक्युरिटी गार्ड व अन्य कर्मचारियों को वर्ष में एक बार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय में लगाये गये अग्निशमन यंत्रों का समय समय पर रख रखाव आवश्यकतानुसार करना होगा।
3. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा कोई आदेश/नियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को जारी आदेश मान्य होगा तथा निर्धारित शुल्क नोटिस अनुसार जमा कराना होगा अन्यथा एन.ओ.सी. मान्य नहीं होगी।
4. अग्निशमन विभाग द्वारा किसी भी समय विद्यालय के निरिक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाये जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
5. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं वर्ष तक वैध होगा, जिसे नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी विद्यालय संस्थान प्रबंधन की होगी।


फायर इन्चार्ज

नगरपरिषद राजसमन्द


आयुक्त
नगरपरिषद राजसमन्द